

बजट महत्वपूर्ण

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ए-४ () लेखा / बीएनपी / २०११ /

जयपुर दिनांक :

अधीक्षक, संलग्न चिकित्सा समूह संघ
 प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडीकल कॉलेज, अजमेर / जोधपुर।
 प्रधानाचार्य, हीराबाग जयपुर।
 संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन
 चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राजकीय चिकित्सालय
 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
 चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, के.एन.टी.बी.सी. अजमेर।
 चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, क्षय नियंत्रण इकाई
 सहायक औषधि नियंत्रक,
 मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, जयपुर।
 राजकीय विश्लेषक, जयपुर।
 जिला कुष्ठ रोग अधिकारी / प्रभारी कुष्ठ नियंत्रण इकाई
 विभागाध्यक्ष, डिप्लोमा कोर्स इन. फार्मेसी, जयपुर।
 कार्यालयाध्यक्ष तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।

समस्त कार्यालयाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे इस पत्र का कृपया अत्यन्त सावधानीपूर्वक पठन कर सभी स्तर पर वांछित कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

विषय :- आगामी वित्तीय वर्ष २०१२-१३ के आय व्ययक अनुमान एवं चालू वित्तीय वर्ष २०११-१२ के संशोधित अनुमान प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष २०१२-१३ के आय व्ययक अनुमान तथा चालू वित्तीय वर्ष २०११-१२ के संशोधित अनुमान समस्त कार्यालयाध्यक्षों एवं आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा निर्धारित समयावधि में तैयार कर (आय-व्ययक अनुमान तैयार करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश आय-व्ययक नियमावली के अध्याय ५.९ एवं १० मे दिये हुये हैं) नीचे अंकित बजट मदों में उनसे सम्बन्धित लेखाशीर्षों के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हैं :-

- (१) ०२१०-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य (आमद मद)
 - (२) २०५९-लोक निर्माण
 - (३) २२१०-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य
 - (४) २२११-परिवार कल्याण [मात्र निदेशक (जन स्वा.) द्वारा नियंत्रित उपमद]
१. बजट आकलन अधिकारी बजट अनुमान तैयार करने हेतु आयोजना एवं आयोजना भिन्न दोनों प्रकार के प्रस्ताव संलग्न परिशिष्ट-क, ख एवं ग मे दिये दिशा-निर्देशों का पालन करते हुये प्रस्तुत करेंगे।
 २. राज्य में बेहतर वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से राजवित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, २००५ (FRBM Act) प्रभावी है जिसमे राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे को कम करने के लक्ष्य भी निर्धारित किये गये हैं। अतः यह अपेक्षा की जाती है कि आय एवं व्यय के अनुमानों का समुचित तरीके से वास्तविक आकलन करें एवं अनावश्यक व्ययों हेतु कोई प्रस्ताव नहीं भिजवाये। किसी भी लेखा शीर्ष मे अतिरिक्त राशि की मांग किये जाने पर तब तक उस पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा जब तक कि संबंधित मांग मे अतिरिक्त मांग की राशि के बराबर बचत हित नहीं की जाती है।
 ३. समस्त बजट आकलन अधिकारियों का ध्यान राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष आरम्भ की गई एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) की ओर आकर्षित कर अनुरोध है कि इस प्रणाली के माध्यम से आगामी वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ के आय-व्ययक अनुमान तथा चालू वित्तीय वर्ष २०११-२०१२ के संशोधित अनुमान तैयार किये जाने हैं। इस प्रणाली के माध्यम से बजट तैयार करने हेतु निर्धारित वेबसाइट <http://ifms.raj.nic.in> है। इस प्रणाली का उपयोग करने के लिये विस्तृत

दिशा-निर्देश परिशिष्ट - "ख" पर संलग्न है। यहां यह उल्लेखनीय है कि विभागों द्वारा इस प्रणाली के माध्यम से सभी निर्धारित प्रपत्रों मे सूचना / बजट अनुमान उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष बजट अनुमानों से संबंधित सभी प्रपत्रों की सूचना पूर्व की भाँति हार्ड कॉपी मे भी भिजवाया जाना अपेक्षित है।

4. समस्त बजट आकलन अधिकारियों से अनुरोध है कि अनुसूचित जाति संघटक योजना (SCSP) एवं अनुसूचित जन जाति उपयोजना (TSP) हेतु निर्धारित निधि प्रवाह (Fund Flow) सुनिश्चित करने के लिये परिशिष्ट—"क" में उल्लेखित दिशा निर्देशों का पालन करते हुये बजट प्रस्ताव प्रेषित करें।
5. समस्त बजट आकलन अधिकारियों से अनुरोध है कि वे बजट प्रस्ताव निम्नानुसार समय तालिका में अंकित निर्धारित तिथि तक प्रेषित करें। अनुमानों में प्राप्ति और खर्चों के लिये वास्तविक आंकड़े दिये जावे। विभाग में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार आंकड़े सही होने के बारे में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे व आय व्ययक अनुमान निर्धारित प्रपत्रों में तैयार करके निदेशालय को व्यक्तिशः प्रस्तुत करेंगे :—

समय सारणी

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जिले का नाम	निदेशालय में आय व्ययक अनुमान प्रस्तुत करने की दिनांक
1	अधीक्षक, संयुक्त चिकि. संघ	कोटा, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर	19.09.11
2	विभागाध्यक्ष डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स	जयपुर	20.09.11
3	राजकीय विश्लेषक	जयपुर	20.09.11
4	मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक	जयपुर	20.09.11
5	संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें	जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, भरतपुर	20.09.11
6	जिला कुष्ठ रोग अधिकारी	नागौर, जयपुर, बांरा, जोधपुर	20.09.11
7	प्रिसिपल, प०क० प्रशिक्षण केन्द्र, हीराबाग	जयपुर	20.09.11
8	चि. अ. प्रभारी, मोडीफाईड लेप्रोसी कन्ट्रोल युनिट	उदयपुर, झालावाड़, बून्दी, गंगानगर, कोटा, भरतपुर	20.09.11
9	सहायक औषधि नियंत्रक	बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, सवाईमाधोपुर, सीकर, बांसवाड़ा, भरतपुर, श्रीगंगानगर, चुरू, अलवर, पाली, चित्तौड़गढ़	20.09.11
10	प्रधानाचार्य आयुर्विज्ञान महाविद्यालय	अजमेर, जोधपुर,	20.09.11
11	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सैटेलाईट हॉस्पीटल	सेठी कॉलोनी, बनीपार्क, जयपुर	20.09.11
12	चि. अ. प्रभारी, रा. सैटेलाईट हॉस्पीटल	पावटा, मण्डोर (जोधपुर), शाहपुरा (भीलवाड़ा) हिरनमगरी (उदयपुर) बीकानेर, अजमेर, चांदपोल (उदयपुर)	20.09.11
13	चि. अ. प्रभारी, रा. चिकित्सालय	वाई.एन. हॉस्पीटल किशनगढ़, नसीराबाद (अजमेर) सोजत (पाली) बालोतरा (बाड़मेर) नाथद्वारा, राजसमन्द माण्डलगढ़ (भीलवाड़ा) सरदारशहर, सुजानगढ़ (चुरू) छबड़ा (बांरा) फलोदी (जोधपुर) शाहपुरा (जयपुर) खेतड़ी (झुन्नुनु) कुचामन सिटी लाडनु परबतसर, डीडवाना (नागौर) बीकानेर हाऊस (नई दिल्ली)	20.09.11
14	डी.डीओ. निदेशालय चिकि. एवं स्वा. सेवायें, जयपुर	जयपुर	21.09.11
15	जिला क्षय रोग अधिकारी	बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, पाली, सिरोही, बीकानेर, रतनगढ़, ब्यावर, गंगानगर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, दौसा, हनुमानगढ़	21.09.11
16	जिला क्षय रोग अधिकारी	अलवर, भरतपुर, जयपुर, झुन्नुनु, सीकर, बून्दी, झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ढूगरपुर, उदयपुर, राजसमन्द, धौलपुर जयपुर-द्वितीय	21.09.11
17	अधीक्षक, कमला नेहरू क्षय प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र	अजमेर	21.09.11

18	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी	ब्यावर, भीलवाड़ा, नागौर, टोक, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झुन्झुनु, सीकर, दौसा, कोटपुतली, श्रीहरिबक्ष काबटिया चिकि. जयपुर, जयपुरिया चिकि. जयपुर	21.09.11
19	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी	रतनगढ़, चुरू, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली, सिरोही, हनुमानगढ़	22.09.11
20	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी	करौली, सवाईमाधोपुर, बून्दी, बांरा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमन्द, सागवाड़ा	22.09.11
21	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, राजसमन्द, उदयपुर, चित्तौड़गढ़	23.09.11
22	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर	23.09.11
23	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	जयपुर-I, झुन्झुनु, सीकर, जयपुर-II,	26.09.11
24	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	बीकानेर, रतनगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़	27.09.11
25	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, पाली, सिरोही	29.09.11
26	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	ब्यावर (अजमेर) भीलवाड़ा, नागौर, टोक	30.09.11
27	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	बांरा, बून्दी, जालावाड़ा, कोटा, करौली, सवाई माधोपुर	30.09.11

नोट :— बजट अनुमान वर्ष 2012–13 तथा संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2011–12 निदेशालय में प्रस्तुत करने वाले अधिकारी/कर्मचारी बजट प्रस्तावों की पूर्ण सूचना प्रस्तुत करने का प्रमाण-पत्र अद्योहस्ताक्षरकर्ता से प्राप्त करने के बाद ही निदेशालय से प्रस्थान करेंगे।

संलग्न :— परिशिष्ट—क, ख एवं ग।

वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर
फोन नं 0141-2225334

जयपुर दिनांक : ०२-०९-२०११

क्रमांक : ए-४ () लेखा/बीएनपी/2011/ २४४।

प्रतिलिपि निम्नानुकूलित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि प्रोग्राम आफिसर्स अपने स्तर से यदि कोई सूचना इकाई अधिकारियों से प्राप्त करना चाहते हो तो वे अलग से इकाई अधिकारियों को निर्देश प्रसारित कर दें। आपसे अपेक्षा की जाती है कि वित्त विभाग को आय-व्ययक अनुमान प्रस्तुत करने की निर्धारित दिनांक को (वित्त विभाग द्वारा बी०एफ०सी० की तारीख सुनिश्चित करने पर अवगत करवा दी जायेगी)। बी.एफ.सी. बैठक में पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें :—

1. संयुक्त निदेशक, (योजना) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, जयपुर कृपया न्यू आइटमों हेतु प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने का श्रम करावें। ये प्रस्ताव सम्पूर्ण औचित्य के साथ दो प्रतियों में तैयार किये जावें। प्रस्तावों में औजार उपकरणों की अनुमानित कीमत भी सूचित करें।
2. अति. निदेशक (राजपत्रित/अराजपत्रित) को भेजकर लेख है कि स्वीकृत पदों का सत्यापन सावधानीपूर्वक उप शीर्षकानुसार ही किये जाने के निर्देश अधिनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को जारी करें ताकि पदों की बजट में सही स्थिति अकिंत करने में कोई त्रुटि न रहे। वर्ष के दौरान स्वीकृत पदों में कोई परिवर्तन हुआ हो तो उसका विवरण पूर्व में अलग से दिनांक 14.10.2011 तक भेज दें ताकि वांछित संशोधन बजट में प्रस्तावित किया जा सके। साथ ही रिक्त पदों का विवरण व जो पद समाप्त करने हैं अथवा कर दिये हैं, उनका भी विवरण भिजवायें।
3. निदेशालय के संमस्त अनुभागों को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय, कृपया इस पत्र को मय विवरण के विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।

वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

परिशिष्ट-“क”

**समस्त बजट आकलन अधिकारियों तथा नियंत्रक अधिकारियों द्वारा ध्यान में
रखे जाने योग्य विशेष बिंदु
(प्रपत्र 1 से 11 सहित)**

1. राजस्व प्राप्तियों के अनुमान :— गैर कर राजस्व प्राप्तियों के संशोधित अनुमान वर्ष 2011–2012 तथा आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2012–2013 प्रपत्र–10 में भेजे जाने हैं।
- (i) ये अनुमान शुल्क, फीस आदि की विद्यमान दरों पर आधारित होने चाहिये तथा बजट नोट में इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। यदि विद्यमान दरों या स्तरों के संशोधन के लिये प्रस्ताव पहले ही सरकार के पास भेजे जा चुके हैं तो बजट नोट में ऐसे प्रस्तावों के प्रत्याशित वित्तीय प्रभाव का पृथक से उल्लेख किया जाये। किन्तु अनुमान विद्यमान दरों पर ही तैयार किये जाने चाहिये। दरों में कोई भी वृद्धि या कटौती, जो सरकार द्वारा मंजूर नहीं हुई है, उन्हें अनुमानों में प्रस्तावित नहीं किया जाना चाहिये।
 - (ii) विभाग द्वारा वसलू की जाने वाली फीस, शुल्क आदि की दरों का एक मानचित्र भी संलग्न किया जाना चाहिए। इस मानचित्र में यह अंकित करते हुये कि वर्तमान में प्रभावी दरें कब से प्रचलन में हैं, संबंधित राजाज्ञा का संदर्भ भी अंकित किया जाना चाहिए।
 - (iii) चालू वर्ष 2011–2012 तथा आगामी वर्ष 2012–2013 के लिये चालू मांगों तथा प्राप्तियों के प्रस्तावित अनुमानों का विस्तृत व्यौरा व कम अथवा ज्यादा प्राप्ति होने की संभावना के विस्तृत कारण दर्शाये जाये।
 - (iv) ऐसी असामान्य परिस्थितियों या कारणों का संक्षिप्त उल्लेख करें जिनके कारण गत वर्षों में प्राप्तियां प्रभावित हुई हों या चालू और आगामी वर्ष में वसूली प्रभावित होने की संभावना हो। गत वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक वसूली/प्राप्ति में कमी अथवा वृद्धि के विस्तृत कारण भी दिये जाये।
 - (v) गत वर्ष 2010–2011 तक की कुल बकाया राशियां तथा इसके विरुद्ध चालू वर्ष 2011–2012 एवं आगामी वर्ष 2012–2013 में वसूली योग्य समझी जाने वाली राशि का विवरण उपलब्ध कराया जावे। बकाया राजस्व की वसूली के संबंध में प्रस्तावों का विस्तृत विवरण भी दिया जाये।
 - (vi) ऐसा देखा गया है कि विभाग द्वारा प्राप्तियों के बजट अनुमानों में जो वास्तविक प्राप्तियां दिखाई देती हैं, वे महालेखाकार के ओकड़ों से मिलान नहीं करती हैं। अतः महालेखाकार से मिलान सुनिश्चित करें।
 - (vii) राजस्व प्राप्ति की सूचना आय–व्ययक अनुमान के साथ भिजवाना सुनिश्चित करावे इसके अभाव में आय–व्ययक अनुमान स्वीकृत नहीं किये जावेंगे।

2. व्यय के अनुमान

(अ) महत्त्वपूर्ण अनुदेश

- (i) आगामी वित्तीय वर्ष 2012–2013 के व्यय अनुमान प्रस्तुत करने से पूर्व वर्तमान में संचालित समस्त आयोजना एवं आयोजना भिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का विस्तृत अध्ययन किया जाये। ऐसे कार्यक्रम/योजनाएं जिनकी उपयोगिता/उपादेयता समाप्त हो गई हो या भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत योजना बन्द कर दी गई हो या संदिग्ध हों, अथवा कोई अन्य बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती हो तो, उन्हें समाप्त करने, छोटा करने अथवा नये कार्यक्रमों में वित्त के प्रस्ताव भी साथ भेजेंगे। व्यय के लिये प्रस्ताव भेजने से पूर्व यह अवश्य बताये कि किन मापदण्डों के आधार पर व्यय के लिये प्रस्ताव किये गये हैं।
- (ii) वर्तमान में जिन कार्यक्रमों/योजनाओं हेतु आयोजना भिन्न एवं आयोजना दोनों ही मदों में प्रावधान किये जा रहे हैं उनकी समीक्षा करके विभाग द्वारा आयोजना अथवा आयोजना भिन्न में एक ही जगह प्रावधान कराने हेतु प्रस्ताव तैयार किये जायें तथा इन्हें संयुक्त निदेशक (आयोजना) के ध्यान में लाये जाये।
- (iii) कुछ कार्यक्रमों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कर्मचारी वर्ग के सृजन पश्चात् उन योजनाओं की समाप्ति पर भी कर्मचारी वर्ग में कमी नहीं की गई है। दूसरी ओर कुछ योजनाएं ऐसी हो सकती हैं जिनमें यथेष्ट कर्मचारी वर्ग के अभाव में वांछनीय प्रगति नहीं हो रही है अथवा कठिनाइयां आ रही हैं। अतः यह आवश्यक है कि उपलब्ध कर्मचारी वर्ग का पूर्ण उपयोग करने की दृष्टि से प्रशासनिक तंत्र में यदि परिवर्तन आवश्यक हो, तो उनका भी पूर्ण उल्लेख बजट प्रस्तावों में किया जाये। साथ ही यह भी बताया जाये कि स्टाफ किस मापदण्ड के आधार पर रखा गया है और उस मापदण्ड के आधार पर वर्तमान स्टाफ न्यूनाधिक तो नहीं है। पूर्ण विगत देकर स्पष्ट किया जाये।

- (iv) सभी कार्यालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि राजस्व मद के व्यय को नियंत्रित कर आयोजना व्यय का अधिक से अधिक परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु पूँजीगत मद में उपयोग किया जाये।
- (v) आयोजना के पूँजीगत व्यय मद के तहत रिनोवेशन/गाडनाइजेशन/टेक्नोलोजिकल अपग्रेडेशन हेतु संबंधित मद में आवश्यकतानुसार राशि प्रस्तावित करेंगे। आयोजना भिन्न व्यय के अन्तर्गत 'मेन्टीनेन्स' मद में प्रस्तावित राशि में, श्रम (labour component) तथा सामग्री का विवरण भी उपलब्ध करायेंगे।
- (vi) विशिष्ट संघटक योजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना –
"अनुसूचित जाति संगठक योजना (Special Component Plan for Schedule Caste) एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना (Tribal Sub- Plan) हेतु यथासम्भव वास्तविक बजट प्रावधान करते हुये निर्धारित निधि प्रवाह (Fund Flow) सुनिश्चित किया जायेगा"।
उक्त घोषणा की पूर्ण क्रियान्विति किया जाना सुनिश्चित किया जाकर इस विषय में निम्नानुसार बजट प्रस्ताव 2012-13 तैयार किया जाना अपेक्षित है।

विशिष्ट संघटक योजना –

- (I) सभी योजनाओं की संरचना अनुसूचित जाति के लोगों की आवश्यकता व प्राथमिकता के आधार पर की जाये।
- (II) विशिष्ट संघटक (Special Component) योजनान्तर्गत लघु शीर्षक "789-विशिष्ट संघटक योजना" में राज्य योजना मद में प्रवाह दर्शाये जाने हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या 3(2)(8)एस.सी.पी./सकवि/96-97/2602-91 दिनांक 7.10.1996 में दिये गये निर्देशों को ध्यान में रखते हुये व्यय के बजट प्रस्ताव "लघु शीर्ष 789" के अन्तर्गत निर्धारित निधि प्रवाह (Fund Flow) के अनुसार तैयार कर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

अनुसूचित जनजाति उपयोजना –

- (I) इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों के संबंध में व्यय के बजट प्रस्ताव "लघु शीर्ष 796" के अन्तर्गत निर्धारित निधि प्रवाह (Fund Flow) के अनुसार तैयार कर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- (II) बजट भाषण वर्ष 2011-12 में जनजाति उपयोजना क्षेत्र विकास की "महाराष्ट्र प्रणाली" योजना का नामकरण "जनजाति कल्याण निधि" करने का निर्णय लिया गया है। अतः आगामी वर्ष 2012-13 के बजट प्रस्तावों में बजट मदों में संबंधित बजट शीर्षों में "महाराष्ट्र प्रणाली" के स्थान पर "जनजाति कल्याण निधि" शब्द का प्रयोग किया जाना सुनिश्चित करें।
- (vii) चालू वर्ष के आय-व्यय अनुमानों तथा संशोधित अनुमानों के मध्य प्रस्तावित वृद्धियों/कमियों एवं आगामी वर्ष 2012-2013 में प्रस्तावित वृद्धियों/कमियों के कारणों की आय-व्ययक टिप्पणी में व्याख्या की जानी चाहिए।
- (viii) चालू वर्ष में जिन मदों में अतिरिक्त प्रावधान स्वीकृत किये गये हों, उनमें संशोधित अनुमान प्रस्तावित करते समय इसका ध्यान रखा जाना चाहिए एवं विवरण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (b) राजस्व व्यय के अनुमान :- आय-व्ययक नियमावली के अध्याय 10 में दिये गये विस्तृत निर्देशों के अनुसार आयोजना भिन्न, आयोजना तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिये पृथक्-पृथक् व्यय अनुमान प्रपत्र-8 व 9 में तैयार करके प्रस्तुत किये जाने हैं। निम्नलिखित विशेष निर्देशों का पालन आवश्यक है :
- (i) स्वीकृत पद तथा कार्मिकों का विवरण
(क) स्वीकृत पदों तथा उनके विरुद्ध नियमित कार्यरत कार्मिकों का उपशीर्षवार विवरण प्रपत्र-1(अ) में भेजा जाये। स्वीकृत स्टाफ के वे पदनाम ही दर्शाये जाये जो कि संबंधित सेवा नियम तथा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 में अंकित है।
प्रपत्र-1(अ) के कॉलम 11 में अंकित रिक्त पदों की संख्या के विरुद्ध वर्तमान में कार्यरत अन्य कार्मिकों (नियमित नियुक्ति से भिन्न) का विवरण प्रपत्र-1(ब) के कॉलम 6 से 11 में उपलब्ध कराया जाना है।
(ख) संवेतन के अनुमान, अनुमानक अधिकारियों द्वारा प्रपत्र-8 में स्वीकृत पद पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के दर्शाये वास्तविक वेतन के आधार पर, प्रस्तावित किये जाने चाहिये।

(ग) वर्तमान रिक्त पदों/प्रारूपित पदों एवं भविष्य में होने वाली रिक्तियों हेतु कोई प्रावधान सम्मिलित नहीं किये जाये। जिन पदों को भरने हेतु वित्त विभाग द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई है केवल ऐसे ही रिक्त पदों हेतु न्यूनतम वेतन के आधार पर सम्भावित व्यय को बजट अनुमानों में सम्मिलित किया जाये।

(ii) अनुमानों का प्रस्तुतिकरण

(क) अनुमान भेजते समय निम्न मंदों और उपमंदों का निर्धारित प्रपत्रों (प्रपत्र-9) में अनुमान प्रेषित करेंगे।

1. संवेतन :— वेतन (मूल वेतन, विशेष वेतन), महंगाई वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता तथा अन्य भत्ते (सभी प्रकार के अन्य भत्ते जो महंगाई भत्ता तथा मकान किराया भत्ता के अतिरिक्त हों)।

2. यात्रा भत्ता :— यात्रा भत्ता दौरे आदि पर तथा यात्रा भत्ता स्थानान्तरण पर।

3 कार्यालय व्यय :— डाक तार व्यय, दूरभाष व्यय (स्वीकृत टेलीफोन तथा मोबाइल की संख्या प्रपत्र-2 में दी जाये), बिजली एवं जल प्रभार, पुस्तकों तथा नियतकालिक पुस्तिकायें, फर्नीचर की मरम्मत एवं नवीनीकरण, कम्प्यूटर सेवायें एवं रखरखाव व्यय तथा अन्य आकस्मिक व्यय

*नोट :— विभाग में उपलब्ध कम्प्यूटर्स/सर्वर एवं किराये पर लिये गये कम्प्यूटर्स की सूचना प्रपत्र- 3 में उपलब्ध कराई जाये।

4. मशीनरी तथा उपकरण :— उपकरण तथा मशीनरी का मूल्य अलग-अलग दिखाया जाये।

5. वाहनों पर व्यय :—

(I) वाहन क्रय — कार्यालय हेतु वाहन का क्रय तथा कार्यकलाप संबंधी वाहनों का क्रय दोनों इसी मद में दर्शाये जायेंगे।

(II) वाहन का संधारण — कार्यालय हेतु वाहन का संधारण व्यय तथा कार्यकलाप संबंधी वाहनों का संधारण व्यय दोनों इसी मद में दर्शाये जायेंगे।

(III) वाहन किराया — इस मद में वाहन के स्थान पर किसाये पर लिये गये वाहनों की संख्या एवं उसका किराया बताया जाये।

वाहनों की सूची प्रपत्र-4 में कार्यालय एवं कार्यकलाप हेतु पृथक-पृथक् से भेजी जायें।

(iii) बजट अनुमानों में स्टाफ, उपकरण, फर्नीचर, टंकण-यंत्रों, मशीनरी या अन्य किसी भी नये मद से संबंधित व्यय का कोई भी नवीन आईटम सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(iv) प्रस्तावित नई स्कीमों/नवीन व्यय हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण औचित्य के साथ अलग से प्रस्तुत करना आवश्यक है। एक मुश्त प्रावधान के प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(v) स्टाफ, आवर्तक तथा अनावर्तक मंदों और अन्य विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए पंचायत समितियों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों को सहायतार्थ अनुदान देने के लिए प्रावधान किये जाते हैं। यह आवश्यक है कि वेतन भत्तों से सम्बन्धित सहायतार्थ अनुदान के समर्थन में नियमित विभागीय स्टाफ की तरह ही पूरा ब्यौरा दिया जाना चाहिये। अनावर्तक अनुदानों के मामले में पूर्ण विवरण एवं आधार भी स्पष्टतः दिखाया जाये। विभागीय प्रस्तावों में चालू वर्ष 2011-2012 की प्रथम अप्रैल को ऐसे अनुदानों की खर्च होने से बच रही बकाया राशि भी अलग से दर्शायी जाये तथा इसके समायोजन हेतु सुझाव भी दिये जायें।

(vi) विभागीय भवनों की मरम्मत पर व्यय का प्रावधान विभागीय अनुमानों में सम्मिलित नहीं होता है। आवासीय भवनों के अतिरिक्त समस्त सरकारी भवनों की मरम्मत का प्रावधान आय-व्ययक शीर्ष “2059-लोक निर्माण कार्य” के अधीन किया जाता है। सब डिवीजन मुख्यालय से नीचे स्तर पर स्थित समस्त भवनों की मरम्मत का कार्य चूंकि विभागीय माध्यम से होता है। अतः इसके लिये आवश्यक प्रावधान “2059-लोक निर्माण कार्य, 51-निर्माण (05) चिकित्सा (आ.भि. व्यय) एवं 2059- लोक निर्माण 53-रख रखाव एवं मरम्मत (01) निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से (आ.भि.न्न व्यय)” के अन्तर्गत पृथक् उप शीर्ष में संयुक्त निदेशक, योजना को अलग से प्रस्तावित किये जायें।

(vii) उपकरण, मशीनरी, वाहन, फर्नीचर आदि के अनुरक्षण के लिए धनराशि मांगते समय निर्धारित ‘उपयोग समय’, उपयुक्त अवधि एवं पूर्व में अनुरक्षण पर किये गये व्यय का विवरण दिया जाये। इस मद में बढ़ोत्तरी करने के कारण भी जैसे भारी मरम्मत पुनःस्थापन (रिप्लेसमेन्ट) इत्यादि का पूर्ण औचित्य दिया जाना चाहिये। निर्माण कार्यों के व्यय के मामले में, सामान, मजदूरी, फिटिंग आदि के अनुमानित व्यय सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा प्रत्येक मामले में दिये जाने आवश्यक है।

(स) पूंजीगत व्यय के अनुमान

- (i) प्रत्येक निर्माणधीन स्वीकृत परियोजना चाहे नई मंजूर हुई हो अथवा पहले मंजूर की गई हो, से संशोधित चालू वर्ष 2011-2012 एवं आगामी वर्ष 2012-2013 के लिए पूंजीगत व्यय तथा पूंजीगत प्राप्तियों के अनुमान तैयार करेंगे। प्रत्येक परियोजना के लिए पृथक् निर्धारित प्रपत्र बनाये जायें तथा प्रस्तावित व्यय हेतु पूर्ण औचित्य दिया जाये।
- (ii) निर्माण कार्यों पर व्यय के पूंजी तथा राजस्व खातों के मध्य आवंटन के विद्यमान सिद्धान्तों के अनुसार एक लाख रुपये या इससे अधिक की लागत वाले प्रत्येक निर्माण कार्य अथवा ऐसे कार्य जिनकी लागत इस सीमा से कम है लेकिन प्रयोजन, समय तथा स्थल की निरन्तरता की दृष्टि से ऐसी योजना के भाग हैं जिसकी लागत 5 लाख रुपये से अधिक है तो उनके लिए प्रावधान पूंजी खाते के अधीन किये जायेंगे।
- (iii) प्रायः यह देखा गया है कि निर्माण कार्य की स्वीकृति लागत से अधिक राशि की मांग करते हैं। संशोधित स्वीकृति के अभाव में स्वीकृत व्यय से अधिक धन राशि का प्रावधान नहीं किया जायेगा। प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए प्रावधान में कमी तथा बढ़ोतरी के समुचित कारण बजट नोट में स्पष्टतः बताये जायें।

(द) आयोजना व्यय

- (i) आगामी वर्ष 2012-2013 के बजट अनुमान में नई योजनाएँ/स्कीमों का प्रस्ताव पूर्ण औचित्य के साथ ही किया जाना चाहिए।
- (ii) नई स्कीमों/कार्यक्रमों हेतु नये पदों के सृजन के प्रस्तावों पर पूर्ण औचित्य दर्शाने के अभाव में कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- (iii) जिन गतिविधियों में निजी संस्थाओं/व्यक्तियों की सहभागिता हो सकती है, उसे बढ़ावा दिया जाये एवं उनके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में अथवा आगामी वर्ष 2012-2013 में जो प्रस्ताव हों उनका पृथक् से विवरण भी तैयार करावें इसके साथ ही अन्य योजनाओं के लिए भी सहभागिता के क्षेत्रों की तलाश की जायें।

(ग) राज्य योजना, केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना तथा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना

- (i) चालू योजना तथा नई योजनाओं के संबंध में पूर्ण विवरण, प्रपत्र-11 में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
- (ii) चालू वर्ष 2011-2012 के संशोधित अनुमानों में, आयोजना स्कीमों के प्रावधानों को समय-समय पर संशोधित अनुमोदित सीमा अनुसार सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- (iii) कुछ योजनाओं का व्यय केन्द्र तथा राज्य द्वारा निश्चित अनुपात में वहन किया जाता है। अतः संशोधित अनुमान वर्ष 2011-2012 तथा आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2012-2013 में प्रावधान निर्धारित अनुपात में ही प्रस्तावित किये जाये।
- (iv) केन्द्र प्रवर्तित योजना के बजट अनुमानों में उन्हीं योजनाओं को सम्मिलित किया जाये जिनके लिए केन्द्र सरकार तथा अन्य संस्थाओं के स्पष्ट संकेत प्राप्त हो गये हैं।
- (v) केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के तहत जहां केन्द्रीय अंशदान सीधे कार्यकारी संस्थाओं को प्राप्त हो रहा है उन योजनाओं का विवरण प्रपत्र-11 में उल्लेखित करना अपेक्षित है। यह विवरण आय-व्ययक अनुमानों के खण्ड 4-ब में मुद्रित होना है।

(र) विभिन्न परिचालन करारों के अधीन प्राप्त होने वाले अनुदानों के प्रति व्यय के अनुमान

- (i) चालू वर्ष 2011-2012 के संशोधित अनुमान में वर्ष 2011-2012 के अन्त तक प्राप्त होने वाली या हो सकने वाली एवं उपयोग में आ जाने वाली सामग्री का लेखा जोखा होगा।

3. अन्य महत्वपूर्ण अनुदेश

- (i) अनुमान तैयार करने वाले अधिकारी प्रपत्र-8, 9 व 10 की तीन प्रतियों में अनुमान बनायेंगे। पहली व दूसरी प्रति विभाग को भेजेंगे।
- (ii) एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) के माध्यम से प्राप्त बजट प्रस्तावों के दो प्रिंट आउट (हार्ड कॉपी) प्रेषित करें।
- (iii) संशोधित अनुमान :— सामान्यतया एक मिथ्या धारणा है कि उनके द्वारा की गई कोई अधिक मांग या संशोधित अनुमान के माध्यम से की गई कोई वृद्धि/कटौती स्वतः ही

अतिरिक्त व्यय अनुमत करती है अथवा बचत के औपचारिक अर्धपण की आवश्यकता नहीं है। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि :-

क— संशोधित अनुमानों में, अतिरिक्त व्यय के लिये प्रावधान या अतिरिक्त व्यय को सम्मिलित करना, पुनर्विनियोजन या पूरक अनुदानों के माध्यम से अतिरिक्त निधियों के उपबन्ध की आवश्यकता को कम नहीं करता और न ही स्वतः ही उक्त अतिरिक्त व्यय करने की अनुमति देता है।

ख— संशोधित अनुमान, जो कि वित्त विभाग द्वारा केवल पुनरावलोकन के प्रयोजन से बनाये जाते हैं, कोई नया या अतिरिक्त व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करते।

ग— यह आवश्यक है कि सरकार द्वारा मंजूर किये गये किसी नये या अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिये पनु विनियोजन यां पूरक अनुदान की मांगों के लिये अपेक्षित प्रस्ताव, संबंधित अधिकारियों द्वारा यथा समय भेजे जायें। इसी प्रकार यदि कोई बचत हो तो निर्धारित तारीख तक औपचारिक रूप से ऐसी राशि अध्यर्पित की जाये। मितव्ययता के उपायों से संबंधित समय—समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार, संबंधित विभागों द्वारा अनमु नित बचत को अनिवार्यतः अर्द्धपण किया जाना है।

घ— यदि कोई अधिकारी किसी भी प्रकार का अतिरिक्त दायित्व अपने ऊपर लेता है या केवल संशोधित अनुमानों के आधार पर अतिरिक्त व्यय करता है तो वह वित्तीय अनियमितता के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

ड.— समस्त बजट अंकलन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अतिरिक्त निधियों के लिए निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से वर्ष की समाप्ति के पूर्व प्रावधान अनिवार्यतः प्राप्त कर लिये जायें।

(iv) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में 'सहायतार्थ अनुदान/अंशदान/सहाय्य' को पिछले वर्षों में 3 'विस्तृत शीर्षों यथा '12. सहायतार्थ अनुदान (**Grant-in-aids**)', '90. अंशदान (**Contribution**)' तथा '91. सहाय्य (**Subsidy**)' में विभक्त किया जा चुका है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से प्राप्त नवीनतम दिशो निर्देशों के अनुसार 12. सहायतार्थ अनुदान में वर्तमान में किये जा रहे प्रावधान को 3 और नये वर्गों में वर्गीकृत किया जाना है। अतः बजट अनुमानकर्ता अधिकारी 12. सहायतार्थ अनुदान में प्रस्तावित प्रावधान के 3 भाग निम्नानुसार विभक्त कर प्रेषित करेंगे :-

12—सहायतार्थ अनुदान (गैर वेतन), 92—सहायतार्थ अनुदान सामान्य (संवेतन) तथा 93—पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान।

परिशिष्ट-“ख”

एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) में बजट निर्णयक समिति की बैठक के लिये आवश्यक प्रपत्रों में ऑन लाइन सूचना दर्ज करने हेतु दिशा-निर्देश

1. एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) की वेब साइट <http://ifms.raj.nic.in> है। इस वेब साइट पर 'यूजर लोगिन' व 'पासवर्ड' के जरिये प्रवेश किया जा सकता है जो आपको पूर्व में जारी कर दिये गये हैं। इस प्रणाली का उपयोग करने के लिये विस्तृत विवरण उपरोक्त साईट पर Operational manual के रूप में उपलब्ध रहेगा। सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) भी इस साईट पर उपलब्ध होंगे।
2. इस साईट पर बजट नियंत्रण अधिकारी-विभाग, विभाग-प्रशासनिक विभाग, बजट नियंत्रण अधिकारी-बजट शीर्ष तथा बी.एफ.सी. इकाई-बजट नियंत्रण अधिकारी-विभाग-प्रशासनिक विभाग आदि के परस्पर संबंधों (Linkage) का विवरण उपलब्ध है। आपसे अनुरोध है कि इन सभी मास्टर रिपोर्ट्स को पूर्णरूप से जांच लें। विशेषकर आपके कार्यालय के सामने दर्शाये गये बजट शीर्ष, मांग संख्या, प्रशासनिक विभाग का नाम, बजट नियंत्रण अधिकारी का नाम आदि सही है या नहीं, यह सुनिश्चित किया जाये। यदि किसी प्रकार की विसंगति है तो कृपया सही सूचना ifms-rj@nic.in पर ई-मेल के जरिये भेजे। सूचना भेजते समय अपने कार्यालय का कोड अवश्य लिखे।
3. (अ) इस प्रणाली में प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिये उनके दायित्व (Role) के, अनुसार उपयोग निर्धारित किया गया है। अतः विभिन्न डाटा एन्ट्री प्रपत्र व रिपोर्ट्स, उपयोगकर्ता को प्रदान किये गये दायित्व के अनुसार ही उपलब्ध होंगे। उदाहरण के लिये यदि PHED विभाग के किसी उपयोगकर्ता को 'डाटा एन्ट्री' का दायित्व (Role) दिया गया है तो वह उपयोगकर्ता सिर्फ निर्धारित प्रपत्रों पर ही डाटा एन्ट्री कर सकेगा व स्वयं के द्वारा दर्ज डाटा की ही रिपोर्ट देख सकेगा।
- (ब) डाटा एन्ट्री करने व सत्यापन करने के पश्चात् उपयोगकर्ता को इसे आगे फारवर्ड करना होगा। "Forward" वाले बटन पर क्लिक करने से डाटा विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रण अधिकारी को फारवर्ड होकर उन्हें स्वतः ही उपलब्ध हो जावेगा। कृपया ध्यान रखें कि फारवर्ड करने के पश्चात् इन प्रपत्रों में दर्ज सूचना को डाटा एन्ट्री करने वाले उपयोगकर्ता द्वारा बदला नहीं जा सकेगा। अतः पूर्णरूप से संतुष्ट होने पर ही फारवर्ड करें। उपयोगकर्ता यदि विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रण अधिकारी है तो उनके अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों का डाटा/सूचना, जिसे उनके अधीनस्थ कार्यालयों ने फारवर्ड कर दिया है, उन्हे देखने के लिये उपलब्ध होगा। विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रण अधिकारी इस डाटा/सूचना को जांचने के बाद स्वीकार/अस्वीकार कर सकते हैं। विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रण अधिकारी अगर इसे अस्वीकार करते हैं तो यह वापस संबंधित उपयोगकर्ता के पास इस सूचना को संशोधित करने के लिये उपलब्ध हो जायेगा।
- (स) (द) उपयोगकर्ता यदि विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रण अधिकारी है तो उनके पास भी सभी डाटा एन्ट्री प्रपत्र आवश्यक सूचना दर्ज करने के लिये उपलब्ध होंगे। विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा इन प्रपत्रों से समेकित सूचना दर्ज की जा सकेगी। सूचना दर्ज करते समय अधीनस्थ उपयोगकर्ताओं से प्राप्त समेकित सूचना उनकी स्क्रीन पर सहायता के लिये उपलब्ध होगी। डाटा एन्ट्री करने व सत्यापन करने के पश्चात् उपयोगकर्ता (विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रण अधिकारी) को इसे आगे फारवर्ड करना होगा। "Forward" वाले बटन पर क्लिक करने से डाटा प्रशासनिक विभाग तथा विभाग को स्वतः ही उपलब्ध हो जावेगा।
5. (अ) इस प्रणाली में जब कोई उपयोगकर्ता निर्धारित प्रपत्रों में सूचना दर्ज करने के लिये जिस किसी प्रपत्र का, चयन करेगा उस प्रपत्र में उसके संबंधित विभाग का नाम, बजट नियंत्रण अधिकारी का नाम, प्रशासनिक विभाग का नाम, संबंधित मांग संख्या व बजट शीर्ष स्वतः ही उपलब्ध होंगे। उपयोगकर्ता जिस बजट शीर्ष की सूचना दर्ज करना चाहता है उसका चयन उसे करना होगा। विभिन्न प्रपत्रों के आधार पर कार्यालय व बी.एफ.सी. का प्रकार (आयोजना भिन्न अथवा आयोजना/केन्द्रीय प्रवर्तित योजना) का चयन करना होगा।
- (ब) अगर मांग संख्या, बजट शीर्ष या कार्यालय का नाम आदि स्वतः नहीं आते हैं तो ifms-rj@nic.in पर यह स्पष्ट करते हुये कि इन प्रपत्रों में क्या दर्शाया जाना चाहिये अपने प्रस्ताव ऊपर अंकित ई-मेल आईडी पर प्रेषित करें। वित्त विभाग इस प्रस्ताव को जांचने के पश्चात् आवश्यक संशोधित सूचना सर्वर पर उपलब्ध करावेगा।

6. यह सभी डाटा एन्ट्री प्रपत्र (बजट प्रस्ताव) प्रशासनिक विभाग के पास भी उपलब्ध होंगे। वे उपयोगकर्ता जो प्रशासनिक विभागाध्यक्ष हैं इन प्रपत्रों में समेकित सूचना दर्ज कर सकेंगे। सूचना दर्ज करते समय अधीनस्थ विभाग से प्राप्त समेकित सूचना उनकी स्कीन पर सहायता के लिये उपलब्ध होगी। प्रशासनिक विभाग द्वारा सूचना वित्त विभाग को फारवर्ड करने पर स्वतः ही संबंधित वित्त (व्यय) विभाग तथा वित्त (आय-व्ययक अनुभाग) विभाग के पास उपलब्ध हो जायेगी। एक बार सूचना फारवर्ड करने के पश्चात् प्रशासनिक विभाग उसे संशोधित नहीं कर सकेगा। अतः अनुरोध है कि पूर्णरूप से सन्तुष्ट होने के पश्चात् ही बजट प्रस्ताव फारवर्ड करें।
7. इस प्रणाली में विभागाध्यक्षों, बजट नियंत्रण अधिकारियों तथा प्रशासनिक विभागों के उपयोगकर्ताओं के लिये उनसे संबंधित विभिन्न रिपोर्ट्स उपलब्ध होंगी।
8. सभी कार्यालयाध्यक्ष जिन्हे विभाग द्वारा सीधे बजट आवंटन किया जाता है वे बजट परिपत्र के समस्त प्रपत्र इस प्रणाली (IFMS) के तहत आनलाईन कर अग्रेशित करते हुए इनके प्रिन्ट आउट निकालकर बजट समय सारणी में निर्धारित अवधि में विभाग को प्रेषित करेंगे।

परिशिष्ट—“ग”

विभागीय अनुदेश

प्रस्तावों को तैयार करते समय आंकलन अधिकारियों द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले विशेष बिन्दुओं का विवरण निम्नानुसार है :—

1. महत्वपूर्ण नोट :—

- (I) दिनांक 1.1.2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है।
- ऐसे पदों के लिये राज्य सरकार का अंशदायी पेंशन योजना में सरकार का अंशदायन संबंधित शीर्ष से आहरित कर पूर्व की भांति बजट भीर्ष 8011-106-(03) [01] में समाहित करवाया जावेगा।
- (II) वर्दिया :—
वर्दियों के लिये प्रावधान विस्तृत शीर्ष 37 के अन्तर्गत ही प्रस्तावित किये जायें (विवरण हेतु परिशिष्ट संलग्न करें)। राज्य सरकार के प्रति कर्मचारी/प्रतिवर्ष मापदण्ड निम्नानुसार है :—
नर्सिंग स्टाफ हेतु रु. 948/-
वाहन चालक, जमादार एवं सहायक कर्मचारी हेतु रु. 543/-
महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु रु. 762/-
एवं अन्य हकदार कर्मचारियों हेतु रु. 200/-
2. सेवानिवृत होने वाले राज्य कर्मचारी के बकाया उपार्जित अवकाशों के नकदीकरण पर होने वाले व्यय के लिए राज्य सरकार द्वारा खोले गये नये उपमद में वर्ष 2011-12 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2012-13 के आय व्ययक अनुमान वित्त विभाग के पत्रांक प-1 (22) वित्त/जी एण्ड टी/2002/दिनांक 26.3.2002 के निर्देशानुसार अलग से तैयार कर प्रस्तुत किये जावे तथा एक प्रति सीधे ही निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर को भी प्रेषित की जावें।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विशेष ध्यान रखें कि उनके जिले की अधीनस्थ संस्थाओं का बजट सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों को उनके क्षेत्र में आने वाली चिकित्सा संस्थाओं का आवटन किया गया है के संशोधित अनुमान 2011-12 एवं आय व्ययक अनुमान वर्ष 2012-13 सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से प्राप्त करेंगे तथा बजट मंदवार प्रस्तावित उपखण्डों की मांग को अपने कार्यालय के बजट मंदवार प्रस्तावित उप मदों की मांग में सम्मिलित करते हुये संकलित मांग का इकजाई कर प्रस्तुत करेंगे।
4. आयोजना मद में चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी नवीन मदों की स्वीकृतियों के अनुसार सूजित पदों हेतु आवश्यक संशोधित अनुमान एवं आय व्ययक अनुमान बजट शीर्षवार प्रस्तुत किये जावें।
5. गत वित्तीय वर्षों/चालू वित्तीय वर्ष में आयोजना मद के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी स्वीकृति अनुसार यदि संविदा पर किसी कार्मिक को लगाया गया/लगाया जाना है तो बजट शीर्षक वार, कार्मिक वार एवं भुगतान की दर सहित बजट प्रस्ताव अलग से तैयार कर अवश्य लावे साथ ही राज्य सरकार की संबंधित स्वीकृति की प्रति भी साथ लावे जिसके तहत कार्मिकों को संविदा पर लगाया गया हो।
6. सामान्य चिकित्सालयों एवं अन्य चिकित्सालयों में सफाई कार्य ठेका पद्धति से कराने हेतु आप द्वारा पारित किये गये ठेके के आधार पर राशि की मांग बजट विस्तृत उपमद ‘संविदा व्यय’ सफाई में प्रस्तावित करेंगे व इस बाबत जारी कार्यादेश की प्रति संलग्न करें।
7. I. भेषज एवं औषधि, खाद्य-सामग्री, कपड़े बिस्तर उपमदों में बजट की मांग की गणना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित माप दण्डों के अनुसार करके लावें।
II. वर्ष 2011-12 के गत वर्षों की नवीनतम उपलब्ध अंतरंग व बहिरंग रोगियों की संख्या की सूचना लेखा शीर्षक अनुसार दर्शाते हुए निम्न प्रारूप में अवश्य साथ लावे (कलेण्डर ईयर के अनुसार)

<u>बजट मद</u>	<u>अंतरंग</u>	<u>बहिरंग</u>	<u>संस्था का नाम</u>
---------------	---------------	---------------	----------------------

8. लेखा शीर्षकानुसार टेलीफोन (कार्यालय/निवास) व किराये के भवनों की सूची किराया दर दर्शाते हुये अलग-अलग बनाकर लावें।
नोट :— उपरोक्त सभी सूचनाएँ आयोजना भिन्न व्यय व आयोजना व्यय की अलग-अलग बनाकर लावें।

9. नवीन मद (न्यू आइटम) के अन्तर्गत रखे जाने वाले प्रस्ताव जैसे कम्प्यूटर, कूलर, फ्रीज, डुप्लीकेटिंग मशीन, एक्सरे मशीन, रोगी वाहन अन्य वाहन एवं अन्य कोई मशीनरी व साज सामान, फर्नीचर आदि की आवश्यकता हो तो उसकी मांग मय अनुमानित लागत लेखा शीर्षकानुसार पूर्ण औचित्य एवं विवरण दर्शाते हुये रखें। जो सामान रिप्लेसमेन्ट में लेना हो तो उस नकारा सामान के सम्बन्ध में निम्न विवरण साथ लगवें :—

(क) कब खरीदा गया तथा खरीद कीमत।
 (ख) मशीन/वाहन कितना चल चुकी है।
 (ग) कण्डम घोषित होने के आदेश क्रमांक व दिनांक।

आयोजना व्यय से सम्बन्धित नवीन मद (न्यू आइटम) के प्रस्ताव सीधे ही संयुक्त निदेशक (आयोजना) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर को भिजवावें।

10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कृपया राज्य सरकार के पत्रांक प-13 (7) चि. स्वा./2/98 दि. 5.12.2000 के द्वारा समानीकरण/सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत विभिन्न चिकित्सालय में चिकित्सा संवर्ग के विभिन्न पदों की समाप्ति/सृजन/परिवर्तित की स्वीकृति जारी की गई है के सम्बन्ध में विशेष ध्यान दे जो पद पूर्व जिस लेखा मद के और उक्त योजनान्तर्गत सृजन/परिवर्तित किया जाकर अब चिकित्सा में पदस्थापन किया गया है वह चिकित्सा संस्था जिस लेखा शीर्षक अन्तर्गत आती है, उसी मद में वेतन आहरित करते हुए राशि मांग संशोधित अनुमान 2011-12 के प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय प्रस्तावों में सम्मिलित की जावें।

वेतन/कार्यालय व्यय/चिकित्सा व्यय/यात्रा व्यय में लेखा शीर्षक एवं बजट मदवार/वर्षवार बकाया दैयताओं की अलग-अलग तीन-तीन प्रतियों में बनाकर प्रपत्र में (जी.ए. 27) में अवश्य लावें अन्तर्था इन प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

11. स्वीकृत पदों का/रिक्त पदों का विवरण, विभाग के टेलीफोन का विवरण, वर्दियों पर व्यय, विभाग में वाहनों की सूची, मितव्ययता का विवरण निर्धारित प्रपत्र में बजट शीर्षवार लावें। रिक्त पदों की सूचना में मय दिनांक जब से वह रिक्त है अंकित करें।
 12. माह अगस्त 2011 तक की बजट मदवार खर्चों की तालिकाएं यदि निदेशालय को पूर्व में भिजवा दी गई हों तो भी बजट प्रस्तावों के साथ एक प्रति अवश्य ही साथ लावें।

महालेखाकार कार्यालय में अंक मिलान कर आवश्यक स्थानान्तरण प्रविष्टियाँ दो प्रतियों में अंक मिलान शाखा को प्रस्तुत करने पर ही आयं व्ययक अनुमान के प्रस्तावों को स्वीकार किया जावेगा। इस कार्य के साथ ही महालेखाकार कार्यालय से अंक मिलान का कार्य भी सम्बन्धित कार्यालयों के लेखा कर्मी के द्वारा किया जाना है। अतः समस्त मदों की आवश्यकता 2010 तक तीन तालिकाएं आपातक ज्ञात ज्ञात नाहीं।

13. स्वीकृत पदों का सत्यापन अति. निदेशक (राजपत्रित/अराजपत्रित) से उक्त निर्धारित अवधि से पूर्व करा लें तथा आय-व्ययक अनुमानों के साथ आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

14. ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय उनके क्षेत्र में आने वाली चिकित्सा संस्थाओं के नाम इन संस्थाओं पर स्वीकृत पदों की संख्या स्वीकृत वाहनों की संख्या, स्वीकृत शैयाओं की संख्या, अंतरंग एवं बहिरंग रोगियों की संख्या, एक्सरे मशीन आदि की सूचना लेखा शीर्षकानुसार आयोजना भिन्न/आयोजना व्यय अलग-अलग बनाकर सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से सत्यापन मय हस्ताक्षर के प्रस्तावों के साथ दो प्रतियों में प्रस्तुत करें।

- बजट अनुमानों को समय पर प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी कार्यालयाध्यक्ष एवं सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार की संयुक्त रूप से होगी। यदि किसी प्रकार की देरी, कमी एवं अपूर्ण सूचना अनुमानों में पाई गई तो अनुमान स्वीकार नहीं किये जायेंगे एवं अनुमानों को लेकर आने वाले कर्मचारी को वापिस लौटा दिया जायेगा तथा उपस्थिति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जावेगा। जिसे पर होने वाले व्यय की भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी कार्यालयाध्यक्ष की होगी। संशोधित/आय व्ययक अनुमानों के अनुमोदन उपरान्त सम्बन्धित संस्था के सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार समुचित प्रविष्टि कराकर तथा प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही निदेशालय से वापिस प्रस्थान करेंगे।

15. प्रत्येक बजट मद के अन्तर्गत मांगों के औचित्य के बारे में तथा गत वर्षों के खर्चों/प्रावधानों से कमी बेशी के कारणों को स्पष्ट करते हुये मदवार सुस्पष्ट बजट नोट्स अवश्य संलग्न किये जावें।

16. आगामी वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए आय-व्ययक अनुमान एवं चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के संशोधित अनुमानों को तैयार करते समय वित्त विभाग (आय-व्ययक अनुभाग) के बजट परिपत्र दिनांक 30.08.2011 की अनुपालना सुनिश्चित करें। उक्त परिपत्र वित्त विभाग की साईट "Finance Department Rajasthan Government" पर उपलब्ध है।

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज० जयपुर।

क्रमांक :— ए.4 () लेखा/बीएनपी/2010-11/ २४८०


दिनांक : ०२-०९-२०११

अधीक्षक, संलग्न चिकित्सा समूह संघ
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडीकल कॉलेज, अजमेर / जोधपुर।
प्रधानाचार्य, हीराबाग जयपुर।
संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन
चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राजकीय चिकित्सालय
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, के.एन.टी.बी.सी. अजमेर।
चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, क्षय नियंत्रण इकाई
सहायक औषधि नियंत्रक,
मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, जयपुर।
राजकीय विश्लेषक, जयपुर।
जिला कुष्ठ रोग अधिकारी/ प्रभारी कुष्ठ नियंत्रण इकाई
विभागाध्यक्ष, डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी, जयपुर।
कार्यालयाध्यक्ष तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।

विषय :— एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के अन्तर्गत बजट आनलाईन करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 से बजट एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के अन्तर्गत बजट आनलाईन शुरू किया जा चुका है।

वित्त विभाग के बजट परिपत्र दिनांक 3.08.2011 के तहत आगामी वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्यय अनुमान एवं चालू वर्ष 2011-12 के संशोधित अनुमान एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के अन्तर्गत आनलाईन प्रस्तुत किये जाने हैं। इस प्रणाली के तहत बजट आनलाईन करने हेतु Login ID एवं पासवर्ड की आवश्यकता होगी। अतः जिन कार्यालयों को Login ID एवं पासवर्ड जारी नहीं किया गया है वे दिनांक 12.09.2011 तक लेखा शाखा (बजट) से Login ID एवं पासवर्ड प्राप्त करना सुनिश्चित करें।


वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर